

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 3(1)साप्र / 2 / 2014 पार्ट

जयपुर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014

- आदेश :-

श्रीमती दिव्या खण्डेलवाल सहायक रजिस्टार (प्रतिनियुक्ति) अतिरिक्त अधिशाषी अधिकारी, दी जयपुर सैन्टल को—ऑपरेटिव बैंक लि0 जयपुर जिनकी तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या 179/2012 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.10.2042 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुये “आउट ऑफ टर्न” के आधार पर राजकीय आवास संख्या ॥/59, गांधीनगर, जयपुर का नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :—

शर्तः—

1. आवास का कब्जा आवंटन तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ा)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन की तिथि से 8 दिवस में आवंटित आवास का कब्जा स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी :—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

ट०/—
(महेन्द्र कुमार खींची)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
 2. जिला कलक्टर, जयपुर।
 3. पंजीयक सहकारिता विभाग, जयपुर।
 4. विशेषाधिकारी (एस), मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आईडी संख्या एफ 14008579 दिनांक 27. 10.2014 के क्रम में।
 5. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
 6. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 7. ~~अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि०वि०/जन स्वा०अभि०वि०/जयपुर वि०वि०निगम लि०, गांधीनगर, जयपुर।~~
 8. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
 9. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्चा करावें।
 10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
 11. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अविधि में कष्ट लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
 12. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर की आईडी संख्या 5882/सीएस/1/14 दिनांक 18.10.2014 के क्रम में।
 13. सुश्री दिव्या खण्डेलवाल सहायक रजिस्टार (प्रतिनियुक्त) अतिरिक्त अधिशाषी अधिकारी, दी जयपुर सैन्टल को-ऑपरेटिव बैंक लि० जयपुर
 14. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
 15. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
 16. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
 17. प्रबन्धक, सर्किट हाउस, जयपुर।
 18. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर।
 19. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
 20. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
रामायं प्रशासन (मुप्प-2) विभाग

क्रमांक :- ५. २१(१)८०५/२/१४

जयपुर, दिनांक 28/06/2016

— आदेश —

श्री सत्यनारायण माली, सहायक कर्मचारी, कृषि निदेशालय, जयपुर को उनकी एवं श्रेणी की वारपता संख्या ११/२००१ व सेवानिवृत्ति दिनांक 29.2.2040 है, के आधार पर राजकीय आवास आवंटन नियम, १९५८ के अन्तर्गत शिथिलता प्रदान करते हुए “आउट ऑफ टर्न” के आधार पर नियमानुसार कियाये पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास संख्या जी-८०७ गांधीनगर (रवतब्र) का निम्न शर्तों के आधार पर एवंदक्षारा आवंटन किया जाता है:-

शर्ते

१. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से ८ दिवस में लिया जायगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश रवत निरत समझा जायेगा।
२. उक्त आवास का कियाया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के कियाये का अवधारण और वसूली नियम, १९५८ के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
३. रोपानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
४. जयपुर से बाहर रथानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को रूपीयत करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
५. स्वयं तथा पर्णों/कब्जों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / क्य करने की रिक्ति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
६. राम्पिणी विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास वा आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, १९५८ के नियम ११(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से ८ दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से ६ माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। ६ माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल रिक्ति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मवजान कियाया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
७. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिकारी अधियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 १. आवंटन प्ररहुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 २. आवंटन प्रत्तत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्य नहीं किया है।
८. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-राम्य पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

४६
(महेन्द्र कुमार खीरी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निर्माकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

१. जिला कलेक्टर, जयपुर।
२. निदेशक, सम्पादन विभाग, जयपुर।
३. संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन), राजस्थान, जयपुर।
४. विशेषाधिकारी (एस), गुरुगंगांव कार्यालय की आईडी संख्या F14008574 दिनांक 27.10.2014 के क्रम में।
५. वारप्त उप सचिव, गुरुगंगांव कार्यालय, राजस्थान, जयपुर को उनकी आईडी संख्या ५८८४/रीएस/१/१४ दिनांक 18.10.2014 के क्रम में।
६. कोपाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
- ✓ प्रोग्राम सहायक, सामान्य प्रशासन (मुप्प-३) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
८. अधिकारी अधियन्ता, साठनियोविं/जन स्वातं अभियोविं/जयपुर विभाग नियम लिंग, गांधीनगर, जयपुर।
९. सहायक अधियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वौकी गांधीनगर, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को कार्यालय लेक्योर्ड पर चर्चा करावें।
१०. संबंधित कर्मचारी को भेजकर लेख है कि नवीन आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास एवं ६५२, गांधीनगर को रिक्त कर विभाग को रूपीयत करावें।
११. निजी साचिव, प्रगुख शासन सचिव, राप्रवि।
१२. रक्षात् पत्रावली।

शासन उप सचिव